HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IInd Bail Application No. 10067/2026
URN: CRLMB / 18700U / 2026

Ajay @ Ajju S/o Ramratan, R/o Milakpur Gurjar, Police Station Bhiwadi, District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (Currently In Sub Jail, Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Harendra Singh Sinsinwar
For Respondent(s)	:	Mr. R.S.Shekhawat, PP Mr. Ravindra Singh

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना भिवाड़ी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 222/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 324(4)(5), 303(2), 351(2), 117(2), 110, 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी की जमानत का प्रथम प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.05.2026 को निरस्त किया गया था, उसके पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान पूरा किया जाकर आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि भी दिनांक 15.04.2026 से अब तक लगभग 02 माह 25 दिन हो चुकी है। उनका तर्क है कि आरोप–पत्र में आहत दीपक के कथन धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मारपीट की घटना में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तथाकथित डण्डे एवं सरियों से जो चोटें कारित करना बताया गया है वे आहत के बायें एवं दाहिने हाथ पर आई हैं जिसमें से बायें हाथ की अंगुली में

अस्थिभंग हुआ है। उनका तर्क है कि जो दो मुकदमे पूर्व के दर्ज होना बताया गया है, उनमें प्रार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, यह तथ्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांक 20.06.2026 में भी अंकित है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उक्त सभी तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत दीपक के साथ बेरहमी से मारपीट की है जिसमें दीपक के चार गम्भीर अस्थिभंग की चोटें कारित हुई हैं। उसका ऑपरेशन भी हुआ है तथा वह पांच दिन तक अस्पताल में भर्ती भी रहा है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में फरार हो गया था जिस पर दस हजार रूपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था।

उनका तर्क है कि पूर्व में जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के उपरांत प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध प्रथम–दृष्ट्या प्रमाणित मानकर उसके विरूद्ध आरोप–पत्र ही प्रस्तुत हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने गांव में भय का वातावरण बना रखा है और ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर मुक्त करने से गवाहों के प्रभावित होने की भी आशंका है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.05.2026 को निरस्त हुआ था, उसके पश्चात् प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण होकर आरोप–पत्र पेश हो चुका है। अस्थिभंग की चोटें आहत के हाथ पर कारित हुई हैं। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 15.04.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए बदली हुई परस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के तर्कों के प्रकाश में, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियॉ** प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

9/AJAY KUMAR SINGHAL/712